Government of Haryana/हरियाणाः सरकार

# Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं, उपभोक्ता मामले निदेशालय आज आष्ट्रीयप्रि/सहट्यपूर्ण

- 1. महाधिवक्ता, हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढा
- 2. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।
- 3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, छठी मंजिल, नया ं सचिवालय, सैक्टर-17, हरियाणा, चण्डीगढा
- 4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, कमरा न0 529, पांचवी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
- 5. महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, एस.सी.ओ. 71-75, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
- 6. चैयरमेन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सैक्टर-6, पंचकुला।
- 7. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, पंचायत भवन, प्लाट 3/सैक्टर 28A चण्डीगढ।
- 8 निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, 30 बेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर-17, चण्डीगढ।
- 10. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकूला।
- 11. महामिदेशक, बागवानी विभाग, सेरीकल्चर काम्पलैक्स, सैक्टर-21,
- 12, राज्यको सभी राजस्व अधिकारी।
- 13. सज्याके सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।
- 14 सन्त्रको सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी(बीणडीणपीणओण)।
- 15. श्री लाल सिंह, प्रधान हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन आनेर ऐशोसिएशन, मकान नं0 145, सैक्टर-14, सोनीपता
- 16. राज्य के सभी जिला भटठा ऑनर ऐशोसिएशन को जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों के माध्यम से।

यादि कमांक-२बी.के.7/15/2016/ २७५४ दिनांक चण्डीगढ़ २१-१२-२७५

विषय:- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (Right to Service Act, 2014) के तहत खाँद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा ईट भटठे का लाईसैस जारी करने की सेवाओं को अधिसूचित करने बारे।

उपरोक्त विषय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के पत्र कमांक न0 7/31/2014-3AR दिनांक 16.12.2016 के संदर्भ में।

मुख्य सिचव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग ने अपने संदर्भाधीन पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की भटठा लाईसैस जारी करने की सेवाओं को "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014" ("Right to Service Act, 2014") के तहत अधिसूचित करते हुये अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 जारी की है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ईट भटठा लाईसैंस जारी करने की सेवाओं को समयबद्ध करने हेतु ''हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014'' ("Right to Service Act, 2014") संशोधित अधिसूचना 7/31/2014-3AR दिनांक 15.02.2016 में

Single window system



# Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निर्देशालय

कम संख्या 128 के बाद खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 नथा ग्राह्म अधिसूचित करते हुते अधिसूचना कमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 जारी की है। इस अधिसूचना के तहत ईट भटठे के लिये प्रस्तावित भटठे स्थल की दूरियों संबंधी पैमाइश के लिये टीम का गढ़न करने, पैमाइश रिपोर्ट देने, ईट भटठे के निर्माण की अनुमति प्रदान करने तथा ईट बनाने व बेचने के लिये ईट भटठे का लाईसैंस जारी करने की सेवाओं को समयबद्ध करने के लियें अधिसूचित किया है। अत: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के पत्र कर्मांक न0 7/31/2014-3AR दिनांक 16.12.2016 तथा अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 को खाद्य एवं पूर्ति विभाग की वेबसाईट "Haryanafood.gov.in" पर ब्रिक किलन शाखा के पेज पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त विभागों के सचिव/विभागाध्यक्षों तथा ईट भटठे के अन्य सभी पक्षकारों(Stackholders) से विनम्र अनुरोध है कि जिला स्तर पर स्थित अपने कार्यालय़ों को सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना कमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 में ईट भटते के लाईसैंस संबंधी सेवाओं के बारे किये गये प्रावधान के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करने के लिये दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें।

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ब्रिभाग, हरियाणा।

फू कमांक-2बो के 1/15/2016/ २ ७५५ ६ दिनांक:

27-12-016 सञ्चः के सभी जिलाधीशों(ईट भटठा लाईसैसिंग अथोटीं) तथा जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के नियंत्रकों को अनुरोध किया जाता है कि "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014" के तहत अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 (विभाग) की वेबसाईट "Haryanafood.gov.in" के ब्रिक किलन के पेज पर अपलोड हैं) मैं ईट भटठों के लाईसैस के बारे किये गये प्रावधान के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0क्रमांक-2बी.के.7/15/2016/ 🤈 🦳 ५ ४० दिनांक: उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1-प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा (माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की सूचना के लिए)

2-वरिष्ठ सचिव/खाद्य मंत्री हरियाणा सरकार (माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री महोदय की सूचना के लिए)

3-निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (अतिरिक्त मुर्ख्य सिचिव खाद्य एवं उपभोक्ता मामले महोदय की सूचना के लिए)

4-निजी सचिव/निदेशक खाद्य महोदय (निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता माम्ले महोदय की सूचना के लिए)

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विश्वाप्रा, हरियाणा।

Diary No. 1849 Dated 212 16

No. 7/31/2014-3AR
Government of Haryana
Chief Secretary's office,
Administrative Reforms Department.

OF MARK	Dated Chandigarh the, 16th Dec, 2016
0/o ACSFS No	
Date 19-12-201	To the second se

To

1. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana and Financial Commissioner, Revenue and Disaster Management Department, Chandigarh.

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana PWD (B&R) Department, Chandigarh.

3. The Addition

3. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Food and Supplies Department,
Chandigarh.

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, HUDA, Chandigarh.

5. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Labour Department, Chandigarh

6. The Principal Secretary to Govt. Haryana, Power Department, Chandigarh

WITHE Principal Secretary to Govt. Haryana, Mines and Geology Department, Chandigarh.

Subject:-

Notifying service under Haryana Right to Service Act, 2014.

Sir/Madam,

I am directed to address you on the subject noted above and to send herewith a copy of Notification No.7/31/2014-3AR dated, 02.12.2016 (Hindi and English version) vide which your Department services have been notified under Haryana Right to Service Act, 2014 for your information and necessary action.

Research Officer
Research Unit, Al Department

Endst. No. 7/31/2014-3AR

Dated Chandigarh the, 6.12,2016

A copy with its enclosure is forwarded to the Secretary Haryana Right to Service Commission SCO 39-40, 2<sup>nd</sup> floor, Sector 17A, Chandigarh for information and necessary action.

Research Officer Research Unit, AR Department



# Haryana Government Gazette **EXTRAORDINARY**

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 11, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना

दिनांक 2 दिसम्बर, 2016

संख्या 7/31/2014—3ए०आर०— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014—4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए०आर०, विभाग 15 फरवरी, 2016

#### संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनाक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,-

(1) क्रम संख्या 20 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :--

		<del></del>		,2 ·	* *		" MAI CAL C
	1 "20 क	राजस्व तथा	3 जलसा/ जनसभा/ जलस/	4	5	6	7
		आपदा प्रबन्धन विभाग	जिल्सा/ जनसभा/ जलूस/ शोभा यात्रा/ छठ पूजा/ विवाह हेतु उपबंध (केवल एस०पी०, एस० डी० एम०, एम०सी० फायर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
		प्रबन्धन	की दशा में लागू) फनफेयर/सर्कस/मैजिक शो हेतुः अनुमति (केवल एस० पी०; एस० डी० एम०, एम० सी० फायर तथा आबकारी विभाग से	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	•
Pr	ice : Rs. 5		अनापित प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)		,		Priff &

(6155)

(2) क्रम संख्या 63 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी

j	1	2	3	1	·		
	63	"विद्युत	33 केंवी० से ऊपर के मुख्य विद्युत	4	5	6	7
	क		निरीक्षक द्वारा विद्युत संस्थापन्न का प्रमाणीकरण	30 दिन		निरक्षिक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान
		(3) क्रम सं	ख्या 128 के बाद खाना 1 2 2 4 5		अभियंता		सचिव, विद्युत"।

(3) क्रम संख्या 128 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

9114-11, 0						था तथा प्रविष्टियां
	2	3	4	5	6	
#128 <b>क</b>	खाद्य तथा पूर्ति विभाग	(i) दूरियों संम्बंधी पैरामीटर की पैमाइश व लिए टीम का गठन राजस्व विभाग के सम्बंधित हल्क पटवारी/ कानूनगो तथा नायब तहसीलदार/ तहसीलदार तथा खाद्य तथ पूर्ति विभाग (सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो) हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के दृष्टिगत प्रस्तावित ईन्ट भट्ठा स्थल की पैमाइश हेतु संयुक्त टीम गठित करना	हे 4 दिन ग	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग
	1	(ii) दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश की रिपोर्ट  टीम दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश अवेदक या आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाइश करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी!  (iii) ईन्ट भट्ठे के निमार्ण की अनुमति  हरियाणा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश 1972 के प्रारूप क के खण्ड 3 के अधीन ईन्ट बट्ठे (चिमनी तथा गेड) के निर्माण के लिए स्वीकृति/समशोधन, यदि दूरी पैरामीटर की शर्ते हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार पाई जायेगी। आवेदक को सूचित केया जायेगा यदि दूरी पैरामीटर नियंत्रण	दिन 7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाह तथा पूर्ति विभाग। महानिदेशक/ चिदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
	÷ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	7 THE TOTAL	दिन   f	सम्बन्धित जेला बाद्य एवं र्ित नेयंत्रक		महानिदेशक / निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति वेभाग"।

### HARYANA GOVERNMENT

## ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

### Notification

## The 2nd December, 2016

No. 7/31/2014-3AR; - In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No.

### Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated 15.02.2016, in Schedule,-

(1) after serial number 20, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted,

1		and number 20, under		<del></del>		
1	20 Revenue &	Provision for	4	5	6	7
A	A Disaster	Jalsa/Public	5 days	Distt.	Divisional	7
	Managemen	II Meeting/Inland		Magistrate/	Commissione	
	Department	Shobha		Deputy	1	
		Yatra/Chhath		Commission	er	
		Puja/ Marriage			-	· 1
		(Applicable	1			
		(Applicable only in case of	1 .			
		obtaining of				
		MOCs frames		`		
		NOCs from S.P.,		1		
20	B Revenue &	SDM, MC Fire)			· ·	
	Disaster Disaster	Permission for	5 days	Distt.	District of	
	Management	Funfair/Circus/	1	Magistrate/	Divisional	1
	Department	1		Deputy	Commissioner	`
	Department	Show(Applicable	1	Commissioner	. ]	
		only in case of		COMMISSIONE	i i	· ·
٠.		obtaining of				
		NOCs from S.P.,	-1	talent to the line of		1.
		SDM, MC Fire,			- <del> </del>	
0 0	2 12	Excise Deptt.)			1	
U (	romac oc	Permission for	5 days	Distt.		
	Disaster	Tournaments/			Divisional	
	Management	Games		Magistrate/ Deputy	Commissioner	
	Department	(Applicable only		Commissioner	1	1
		in case of	}	Commissioner		
,		obtaining of				
		NOCs from S.P.,			4	
		SDM, Sports	•			
D	<del> </del>	Officer)				1
U	Revenue &	Loudspeakers/DJ	3 days	Sub		
	Disaster	Permission for		Divisional	Deputy	Divisional
	Management	Jalsa/Public		Magistrate	Commissioner	Commissioner
	Department	Meeting / Jaloos/		Magistrate	ilsi Vita	
	·	Shobha Yatra/				
		Chhath				
		Puja/Marriage	ji	1	1	
1		(Applicable only			];	
		in case of		1		
		obtaining of		'		
1		NOCs from local				
1		S.H.O.)		1	I	

I N	Revenue & Disaster Management Department	Permission of Loudspeaker on Vehicle during Parliamentary Election Campaign.	As per direction of Election Commission	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	N. 11, 1938 SAKA  Divisional Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana"
	•	(Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., S.D.M)				
(2) a	after serial numb	per 63. under columns	1 2 2 4 5 6			

(2) after serial number 63, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	o and 7, the follow	wing entries sha	all be inserted, namely:-
	Dehartment	Certification of Electrical Installation by Chief Electrical Inspector above 33KV	dave	Concerned Executive Engineer	Inspector	Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary, Power

(3) after serial number 128, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted,

1	2	3	4	5	6	
"128 A	Food & Supplies Department	1	4 days	Concerned	District Magistrate	Director General/ Director Food
	,	To constitute a joint team of concerned Halqa Patwari/Kanoongo and Nayab Tehsildar/Tehsildar of the Revenue Deptt. and Food & Supplies Deptt. (Nor below than AFSO rank) for	-	Supplies Controller		& Supplies Department
		measurement of the purposed brick kiln site in view of the clause 4 (iii) of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972.	j			
		(ii) Measurement Report of distance parameters  Team will measurement the distance parameters in the presence of the applicant or the authorized representative of the applicant and submit his report.	15 days	Concerned District Food & Supplies Controller	Pistro Mag. e	Director General/ Director Food & Supplies Department
	1	(iii) Approval for construction of Brick Kiln  Approval/ Clearance for construction of Brick Kiln (Chimney & Vessel) under clause 3A of Form 'A' of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972 according to the guidelines of the Haryana Pollution Control Board. If the conditions of the distance parameters will be found as per provisions of the Control	7 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistra e	Director General/ Director Food & Supplies Department

202	PWD	(a) Clearance for entry/	60	EC. 2, 2016 (AGHN. 1	1, 1938 SAKA)	6163
	(B&R)	exit from State Highway/ Scheduled Road under MORT&H Guidelines	days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer-in-Chief
-		(b) Permission for laying of Natural Gas/ Pipelines ROU	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(c) Permission for Right of use (RoU) for laying the Communication Infrastructure & associated installation like Optical Fiber Cable	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer-in-Chief".

D.S. DHESI, Chief Secretary to Government of Haryana.